POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 26-09-2024

1.थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 बरामद।

घटना का विवरण-- थाना सेक्टर-126 पर वादी द्वारा सूचना दी गयी कि बाइक सवार लूटेरें उनका मोबाइल फोन छीन कर भाग गये है प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुये दिनांक **26.09.2024** को थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 02 लुटेरे अभियुक्तों 1. राहुल पुत्र समय सिंह 2. अशोक पुत्र राम सिंह को रायपुर तिराहे के पास पुश्ता रोड़ सेक्टर-126 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनते है तथा वे अपने पास एक हीरो स्पेलेन्डर मो0सा0 रखते है। बरामद मो0सा0 पर सवार होकर लूट की घटना को अंजाम देते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम नियाडा थाना गोविन्दगढ राजस्थान हाल निवासी गली नं0-19 मीठापुर चौक थाना मीठापुर दिल्ली उम्र 21 वर्ष
2. अशोक पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम वीरूखाल थाना रैनीहाट जिला पौढी गढवाल उत्तराखंड हाल निवासी बी ब्लाक गणपत कालोनी गली नं0-04 विनय नगर थाना नवीन नगर जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. 01 मोबाइल फोन सैमसंग संबंधित मु0अ0सं0-230/24 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बी.एन.एस.
2. 03 मोबाइल फोन विभिन्न थाना क्षेत्रों की लूट की घटनाओं से संबंधित

3. घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल नं0- डीएल 3एस ईपी 899

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 230/24 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बी.एन.एस. थाना सेक्टर-126 नोएडा
2. मु0अ0सं0 231/24 धारा 304(2) बी.एन.एस. थाना सेक्टर-126 नोएडा

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा, महिला की हत्या करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू (आला कत्ल) बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 26.09.2024 को थाना बिसरख पर वादी ने सूचना दी कि 1. अर्जुन सिंह पुत्र विपती राम 2. अजय पुत्र विपती राम 3. विपती राम पुत्र जूमाराम 4. पूजा देवी पत्नि/ भीम प्रकाश निवासी नगला अशू थाना खैर अलीगढ हाल निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख जनपद नोएडा द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर पैसे की मांग करना, मांग पूरी न होने पर अभियुक्तों के द्वारा मिलकर वादिया की पुत्री की हत्या कर दी है। प्रकरण में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 703/2024 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.09.2024 को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1. अर्जुन सिंह पुत्र विपती राम 2. अजय पुत्र विपती राम को वैभव हेरीटेज सोसाइटी के चौराहा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

बरामदगी का विवरण--

1. एक आला कत्ल चाकू
2. एक मोटर साइकिल
3. 02 मोबाइल (घटना में प्रयुक्त)

घटना के मुख्य बिंदु--

1. मृतका 07 माह की गर्भवती थी।
2. गले पर चाकू से वार किया गया था।
3. अभियुक्तों द्वारा घटना को पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटित होना बताया परंतु इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच, मेडिकल रिपोर्ट व मेनुअल इनपुट के बाद अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करना स्वीकर किया और निशांदेही से आलाकत्ल बरामद किया गया।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अर्जुन सिंह पुत्र विपती राम निवासी नगला अशू थाना खैर अलीगढ हाल निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर
2. अजय पुत्र विपती राम निवासी नगला अशू थाना खैर अलीगढ हाल निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर